राजस्व वाद संख्या 13/2013

1– श्री रामपाल बालिग पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण जी
2– श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि जगदीश पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण
3– ओमप्रकाश बालिग पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण
4– महावीर बालिग पुत्र रामगोपाल जी
5– रमेश बालिग पुत्र रामगोपाल जी
6– सुरेश बालिग पुत्र रामगोपाल जी
7– सुरेन्द्र बालिग पुत्र रामगोपाल जी
8– श्रीमति सोहनी बैवा रामगोपाल जी
9– श्रीमति मधु पत्नि विष्णुदत्त जी
10– आशीष बालिग पुत्र विष्णुदत्त जी
11– दीपक बालिग पुत्र विष्णुदत्त जी
12– दुर्गा पत्नि जानकीलाल
13– पप्पू नाबालिग पुत्र जानकीलाल बसरबराही माता श्रीमति दुर्गा
14– यज्ञदत्त पुत्र श्री कन्हैयालाल जी
15– दिनेशचन्द पुत्र श्री कन्हैयालाल जी
16– रमेशचन्द पुत्र श्री कन्हैयालाल जी
17– श्रीमति गुलाबदेवी पत्नि श्री कन्हैयालाल जी
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीयान गांव बडा आसन तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

————वादीगण

ब ना म

1– राजस्थान राज्य जरिये भूधारक श्रीमान तहसीलदार महोदय मसूदा
2– राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार विजयनगर
2– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम जो न्यायालय के अर्न्तनिहित अधिकार अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत पुनः रिकॉल किया गया।

निर्णय दिनांक

न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 26.10.2017 को वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया गया था। न्यायालय के ध्यान में आया है कि माननीय उच्च न्यायालयों के यह आदेश पारित किये गये हैं कि सरकार भूमि मार्ग, पगडंडिया, रास्तों की भूमि को किसी भी व्यक्ति की खातेदारी की भूमि में इन्द्राज नहीं किया जावे क्योंकि किसी भी ग्राम के सरकारी मार्ग एवं पगडंडिया अथवा रास्तों को अवरूद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है एवं विधि के सिद्धांतो के विपरीत है।

न्यायालय के ध्यान में आने पर न्यायालय में अर्न्तनिहित अधिकारों को प्रयोग करते हुए अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत पुनः तलब किया जाकर प्रकरण का अद्योपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि उक्त उनवानी प्रकरण में हाल खसरा संख्या 348/496 रकबा 00–07–00 बिस्वा मौजा बड़ा आसन तहसील विजयनगर खाता मिल्कियत सरकार गांव के मार्ग तथा पगडंडिया दर्ज है जो माननीय उच्च न्यायालयों के निर्देशों/ आदेशों के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी में नहीं दिया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में न्यायालय अपने अर्न्तनिहित अधिकार अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रयोग करते हुए न्यायालय हाजा के पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 को अपास्त किया जाता है एवं वादीगण का वाद खारिज़ किया जाता है व उक्त निर्णय/डिक्री दिनांक 26.10.2017 के आधार पर यदि कोई नामान्तरकरण किये गये हों तो उन्हें प्रभाव शून्य घोषित किये जाते हैं तथा तहसीलदार मसूदा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय/डिक्री दिनांक 26.10.2017 के आधार पर किये गये किसी भी प्रकार के नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए राजस्व अभिलेखों/जमाबन्दियों में पूर्व में अंकित इन्द्राजात को यथावत किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 28/3/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 12:46:26 IST
Reason: SelfAttested